भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4048

मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया पहल का कार्यान्वयन

4048. श्री राजकुमार रोतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीति आयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में आवेदन करने वाले स्टार्टअप की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त पहल के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्टार्टअप की संख्या कितनी है और इनक्यूबेटरों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित निधि और उनके पास उपलब्ध वास्तविक निधि के बीच भिन्नता, यदि कोई है, तो कितनी है;

(ग) क्या कई स्टार्टअप, पात्र होने के बावजूद, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं पाते हैं और उनके आवेदन बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार की अस्वीकृति के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताए जाते हैं और कोई प्रभावी अपीलीय तंत्र मौजूद नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन केंद्र के अभाव में युवाओं को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक पात्र स्टार्टअप को कम से कम एक निष्पक्ष प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया जाए, इनक्यूबेटरों द्वारा उपलब्ध निधियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण अधिदेशित किया जाए, एक पारदर्शी अपीलीय तंत्र स्थापित किया जाए और बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में एक अधिकृत इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया जाए और यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में समय-सीमा क्या होगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआतजनवरी 16 , को 2016की गई थी। इसका उद्देश्य, देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में नवप्रयोग एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मज़बूत ईकोसिस्टम तैयार

करना है। पिछले पांच वर्ष अर्थात 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में, सरकार द्वारा 1,65,443 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट (एसआईएसएफएस) ताकि (सीजीएसएस) गारंटी स्कीम विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में फंडिंग के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस के तहत, सहायता प्राप्त एआईएफ ने पिछले पांच वर्ष अर्थात 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान 995 स्टार्टअप में लगभग 20,837 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एसआईएसएफएस के तहत, सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने पिछले पांच वर्षों अर्थात 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में 3,268 स्टार्टअप को लगभग 591 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीजीएसएस 1 अप्रैल 2023 से प्रचालन में है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023, 2024 और 2025 में, स्टार्टअप्स को सीजीएसएस के तहत लगभग 808 करोड़ रुपए के 334 ऋणों की गारंटी दी गई है।

नीति आयोग के अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज (एराइज)-अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कार्यक्रम के तहत नीति आयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में, पिछले पांच वर्षों के दौरान 405 स्टार्टअप आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 102 आवेदन एएनआईसी 1.0 के तहत और 303 आवेदन एएनआईसी 2.0 के तहत प्राप्त हुए थे।

इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (निधि) कार्यक्रम के माध्यम से इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए हैं। निधि-प्रयास के तहत, 57 इन्क्यूबेटरों के माध्यम से अब तक लगभग 20,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ): स्टार्टअप इंडिया स्कीमों के तहत वित्त पोषण और सहायता के लिए स्टार्टअप्स का चयन, संबंधित स्कीमों के दिशानिर्देशों में परिभाषित संरचनाबद्ध मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

एफएफएस के तहत, एआईएफ निवेश के लिए सिडबी से संपर्क करते हैं। इसके बाद एआईएफ प्रस्ताव को, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी (वीसीआईसी) के समक्ष इसकी सिफारिश के लिए रखा जाता है। एआईएफ पूल आधारित निवेश माध्यम हैं, जो निवेशकों/योगदानकर्ताओं से धन जुटाते हैं और, अन्य बातों के

साथ-साथ, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों जैसे स्टार्टअप की प्रतिभूतियों में उनकी निवेश पद्धतियों के अनुसार और स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेश करते हैं, जैसा कि https://www.dpiit.gov.in/offerings/schemes-and services/details/startup-india-initiative-MTMzYDNtQWa पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

एसआईएसएफएस के तहत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ईएसी, स्कीम के तहत निधियों के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है। प्रत्येक चयनित इन्क्यूबेटर में एक इन्क्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) होती है, जिसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो प्रारंभिक सहायता के लिए स्टार्टअप का मूल्यांकन और चयन करते हैं। आईएसएमसी, पात्र स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण की मात्रा और प्रकार (एसआईएसएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार) निर्धारित करती है।

सीजीएसएस के तहत, प्रबंधन समिति (एमसी) सीजीएसएस के कार्यकरण की समीक्षा, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। एमसी को स्कीम के निष्पादन का मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार है। एमआई, विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णय के आधार पर ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करने में अपनी व्यावसायगत समझ/कंपनियों के आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच का उपयोग करते हैं और सामान्य बैंकिंग विवेक के आधार पर उधारकर्ताओं के खातों का संचालन/निगरानी करते हैं, जैसा कि स्कीम दिशानिर्देशों में उल्लिखित है, जो https://www.ncgtc.in//content/products/0/20250509/Gazette_Notification_CGSS_8th _May_2025_44e1a2d0dc.pdf पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

आवेदनों के मूल्यांकन से संबंधित शिकायतों सहित स्टार्टअप्स द्वारा उठाई गई किसी भी शिकायतों की, संबंधित हितधारक या संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से की गई, स्कीमों से संबंधित शिकायतों की भी जांच की जाती है और सीपीजीआरएएमएस की मौजूदा प्रक्रियाओं/दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च): एफएफएस, एसआईएसएफएस और सीजीएसएस सहित स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सभी कार्यक्रमों और स्कीमों को, कवरेज का विस्तार करने के लिए, कई विशिष्ट आउटरीच और जागरूकता उपायों के साथ अखिल भारतीय आधार पर लागू किया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) में बताया गया है, प्रत्येक स्कीम में, देशभर के सभी स्टार्टअप को उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संरचनाबद्ध ढांचा, परिचालन दिशानिर्देश

और निवारण तंत्र है। विशेष रूप से इन्क्यूबेशन के लिए, एसआईएसएफएस के तहत, आवेदक, इन्क्यूबेटर के स्थान पर ध्यान दिए बिना, अपनी पसंद के क्रम में स्कीम के लिए संवितरण भागीदारों के रूप में चुने गए किन्हीं तीन इन्क्यूबेटरों से सीड फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवाचार सप्ताह सहित समय-समय पर विभिन्न कार्यकलाप और कार्यक्रम भी करती है, जो सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित और सहायता करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क बनाने और सहयोग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक ऊर्जावान मंच के रूप में कार्य करता है। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक अधिप्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए की गई पहलें, स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों को बढ़ाने और स्केलिंग अप में सहायता करती है। इन उपायों के पूरक स्वरूप नियामक सुधारों के साथ-साथ ईकोसिस्टम विकास संबंधी अन्य आयोजन और कार्यक्रम भी किए जाते हैं। राजस्थान के जिलों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में प्रदान किया गया है।

इन्हीं पहलों के परिणामस्वरूप, राजस्थान राज्य में, 31 जनवरी, 2026 तक, सरकार द्वारा 7,698 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। विशेष रूप से, बांसवाड़ा जिले से 31 जनवरी, 2026 तक 35 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, और डूंगरपुर जिले से 26 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

अनुबंध-I

दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4048 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **क्षमता निर्माण और सहायता**

 राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग ('एसआरएफ') कार्यक्रम के तहत गैर-महानगरों सहित सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि क्षेत्रीय ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। महानगर और क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों के इन्क्यूबेटरों के लिए विशेष रूप से मॉनीटरिंग, क्षमता विकास और सहायता सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत शुरू की गई प्रमुख स्कीमों और चैलेंजेज तक पहुँच बनाने में स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए, विभिन्न अन्य स्टार्टअप कार्यशालाएं और डेमो आयोजित किए जाते हैं।

2. **आउटरीच और जागरूकता**

 देशभर में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच और जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गैर महानगरों के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन कार्यकलापों में गैर-महानगर के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से वित्तपोषण, इन्क्यूबेशन, मार्गदर्शन और व्यावसायिक संबंधों के अवसर प्रदान करना शामिल हैं। विभिन्न स्टार्टअप शोकेस भी आयोजित किए जाते हैं, जहां स्टार्टअप निवेशकों के समक्ष अपने व्यवसाय प्रस्ताव रखे जाते हैं और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में भाग लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।

3. **इकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम**

 विभिन्न राष्ट्रीय इकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे स्टार्टअप महाकुंभ, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से इकोसिस्टम को एक साथ लाकर नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है; क्षेत्र के उभरते उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में स्टार्टअप और उद्यमिता पर असेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर और एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं; और उद्यमिता की सराहना करने और पूरे भारत के हितधारकों के साथ नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित किया जाता है।

4. **अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और लिंकेज**

भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप को संस्थागत रूप दिया गया था, ताकि सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य और पारस्परिक सहयोग को सुगम बनाया जा सके। भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप की बैठकें और एनगेजमेंट पूरे देश में आयोजित किए गए, जिससे वैश्विक बाज़ार, दृश्यता और भारत के क्षेत्रीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम के संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को अंतर्राष्ट्रीय सरकार से सरकार की भागीदारियों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी, वैश्विक आयोजनों की मेजबानी और विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा रहा है जो परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती हैं।

5. ईकोसिस्टम में भागीदारी को प्रोत्साहित करना

सरकार ने भारत में उद्यमशीलता ईकोसिस्टम के हितधारकों के लिए स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल शुरू किया है, ताकि वे एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संसाधन, जानकारी और विभिन्न लाभों का पता लगा सकें। यह पोर्टल विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, जिससे गैर-महानगरों और क्षेत्रों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स तक पहुंच में सुधार लाया जा सके।
